प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, जमुई

दिनांक–17.02.2025 (सं0–11)

जमुई जिला के झाझा थाना अंतर्गत ग्राम बलियाडीह में घटित घटना के संबंध में ।

➢ जमुई जिला के झाझा थाना अंतर्गत दिनांक–16.02.2025 को एक समुदाय के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठकर वापस आने के क्रम में दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा ईट, पत्थर, लाठी–डंडे के द्वारा हमला किया गया। जिसमें नगर परिषद के उपाध्यक्ष श्री नीतिश कुमार एवं अन्य दो जख्मी हुए है तथा इनके गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। इस संबंध में झाझा थाना कांड 74/25 दिनांक–16.02.25 धारा–191(2)/191(3)/190/126(2)/115(2)/118(1)/109/125/(एबी)/324(4)(5)/156/299/352 बी.एन.एस जिसमें 41 (इक्तालीस) लोगों को नामजद एवं 50–60 अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है एवं झाझा थाना कांड संख्या–75/25 धारा–191(2)/190/126(2)/115(2)/125/(एबी)/223/196/299/353(2)/352 बी.एन.एस जिसमें 08 लोगों को नामजद एवं 50–60 को अज्ञात अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक छापामारी कर 09 लोगों की गिरफ्तारी की गयी है। झाझा एवं जमुई में दोनों पक्षों के लोगों के साथ शांति–समिति की बैठक की गई है।

➢ लोगों के बीच शांति एवं विधि–व्यवस्था बनाये रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाह नहीं फैलायी जा सके इसके लिए इंटरनेट सेवा को तत्काल रूप से बंद किया गया है। पुलिस एवं प्रशासन के वरीय पदाधिकारी घटना स्थल पर कैंप कर रहे है तथा संवेदनशील जगहों पर दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा आमजनों में शांति बनाये रखने के लिए एवं अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। वरीय पदाधिकारियों को घटनास्थल की वास्तविक स्थिति की सूचना नहीं देने तथा घटनास्थल पर उपस्थित रहने के बाबजूद भी किसी प्रकार नियंत्रण नहीं करने के लिए गश्ती कर रहे पुलिस पदाधिकारी को निलंबित किया गया है। स्थिति सामान्य है। असमाजिक तत्वों एवं अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा वैसे असामाजिक तत्वों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जाएगी।